न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन चतुर्थ डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–533 / 2026

मुरली प्रसाद.....वादीगण।

बनाम्

बिहार सरकार वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

24.07.2026 वादी की हाजिरी है। वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 20.07.2026 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 वो 02 धारा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि वादी ने मौजुदा मोकदमा अपना हकीयत तजबीज करने हेतु वादी की एराजी सैमुदावहा के भूत पूर्व मालिक से खरीदगी के आयद पर दायर किया है। श्रीमान् मुदालेह नम्बर–2 एराजी सैमुदावहा को हरिजनो के साथ बन्दोबस्त करने पर अमादे है जिससे काफी हकतलफी मन मुदई को होने वाली है। श्रीमान मन मुदई को प्रथम दृष्टया वाद कारण है वो सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नही होने से काफी क्षति होने वाली है। अतः सवाल हाजा दाखिल कर प्रार्थी अनुरोध करता है कि मुदालेह नम्बर–2 को ता फेसला मुकदमा हाजा एराजी से सैमुदावहा के हैत हालात परिवर्तन करने से वो किसी के साथ बन्दोबस्त करने से रोका जाए।

सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोन से यह विदित होता है कि प्रतिवादीगण आज तक उपस्थित नही हुये है। इस वाद के जमीमा नं0 01 में दर्ज खाता, खेसरा वो रकबा वादी के खनदान की मौरूसी एराजी है वो इसका सारा राजस्व अभिलेख वादी के परिवार के लोगो के नाम से तैयार पाया है वो प्रतिवादीगण को कोई एलाका वो सरोकार एराजी मजकूर से नही है। प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा मन मुदई के मकान वो कुऑ वो दिगर स्ट्रक्चर को तोड़कर रास्ता निकालना नजायज वो कानून के विपरित है। वादी द्वारा इस वाद में प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा के माध्यम से विवादित भूमि जमीमा नं0 01 के निस्वत यथा–स्थिति कायम रखने की मांग किया गया है। अभिलेख के अवलोकन करने से यह भी विदित होता है कि अनुपस्थित प्रतिवादीयों द्वारा इस विवादित भूमि के निस्वत छेड–छाड किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति की संम्भावना है। विवादित एराजी के निस्वत यथा–स्थिति कायम रखना आवाश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि विवादित जमीन को किसी प्रकार का छेड–छाड होता रहा तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति की सम्भावना होगी तथा इस वाद का निष्पादन बहुत जटील हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में इस वाद के उभय पक्षों को विवादित जमीन

लगातार

24.07.2026

पर यथा–स्थिति कायम रखने तथा विवादित जमीन की प्रकृति को बदलने से प्रतिवादीगण को इस वाद में उपस्थित तथा सुनवाई तक रोका जाता है तथा विवादित एराजी को यथा–स्थिति बनाए रखने हेतु आदेश दिया जाता है। इस आदेश का प्रभाव वाद के अंतिम निर्णय पर नहीं होगा।

दिनांक– 09.10.2026 वास्ते प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु अग्रीम कार्यवाही करें।

लेखापित

सिविल जज सिनियर डिवीजन चतुर्थ,
डुमरॉव (बक्सर)